प्राक्कथन

एनएमडीसी लिमिटेड के परिचालनात्मक निष्पादन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अंतर्गत यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 तथा निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार किया गया है।

लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 20 (वाणिज्यिक) के अग्रानयन में है, जिसमें 2005-06 से 2011-12 की अवधि के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह-अयस्क के उत्पादन और बिक्री को शामिल किया गया था। यह प्रतिवेदन 2012-13 से 2016-17 के दौरान एनएमडीसी द्वारा लौह-अयस्क के उत्पादन, निकासी और बिक्री, व्यावसायिक विविधिकरण कार्यकलाप और संयुक्त उद्यमों में निवेश की जांच करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक राज्य के वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, द्वारा प्रदत्त सहयोग और सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।